



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 1012) पटना, बृहस्पतिवार, 20 अगस्त 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

19 अगस्त 2026

बिहार राजस्व कर्मचारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति-2026

सं० 4/क्षे० स्था० रा०कर्म० (स्थानांतरण)-01-01/2025-377(4)/रा०—बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 के गठन के पश्चात् राजस्व कर्मचारी संवर्ग, राज्य स्तरीय संवर्ग हो गया है। उक्त नियमावली की नियम-13 में निहित प्रावधान के आलोक में विभाग द्वारा राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु अर्हता एवं प्रक्रिया के निर्धारण का प्रावधान है।

2. इस आलोक में राजस्व प्रशासन में कार्यकुशलता, मानवबल का संतुलित उपयोग, किसी एक ही जिला में अनावश्यक रूप से दीर्घकालिक पदस्थापन की रोकथाम, लोकहित एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिकोण से उक्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राजस्व कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने हेतु निम्नलिखित नीति एवं दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाते हैं :-

- (i) संवर्ग नियंत्रि प्राधिकार (अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव) द्वारा इस संवर्ग के राजस्व कर्मियों का अंतर जिला स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जा सकेगा। इस क्रम में एक ही जिला में दीर्घकाल से पदस्थापन (पाँच वर्ष से अधिक), पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की अनुशंसा एवं शुचिता (निलंबन/अनुशासनिक कार्रवाई/अनुशासनिक कार्यवाही/दंड) को ध्यान में रखते हुए अथवा कार्य प्रदर्शन के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

- (ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा ऐसा स्थानांतरण प्रत्येक 05 (पाँच) वर्ष अथवा विभिन्न जिलों के कार्यरत बल में असमानता होने अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से कभी भी किया जा सकेगा।
- (iii) सामान्य स्थानांतरण एवं पदस्थापन वर्ष में एक बार जून माह में ही किया जाना है। जून माह से भिन्न माह में प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कारणों में सक्षम पदाधिकारी स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन आवश्यक होगा, किन्तु कार्यहित एवं प्रशासनिक कारण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।
- (iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए, पर्यवेक्षीय अधिकारियों की प्रतिकूल अनुशंसा/निलंबनाधीन अथवा अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन संबंधी तथ्यों को दृष्टिगत रखकर, किसी राजस्व कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाएगा।
- (v) उपरोक्त कंडिका-(iv) में निहित मामलों को छोड़कर विभाग द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि तक एक ही जिला में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय बेब पोर्टल के माध्यम से 05 जिलों के वरीयता विकल्प प्राप्त कर यथासंभव ऐच्छिक पदस्थापन किया जा सकेगा।

अन्यथा, पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक एक ही जिला में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरण हेतु विभागीय बेब पोर्टल के माध्यम से 05 जिलों के वरीयता विकल्प की माँग की जायेगी।

ऑनलाइन अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद उपलब्ध रिक्तियों और पात्र कर्मचारियों का कम्प्यूटरीकृत मिलान किया जाएगा। स्थानांतरण में पहले पात्रता और उपलब्ध रिक्ति, गृह जिला एवं वर्तमान जिला संबंधी प्रतिबंध, विशेष परिस्थितियाँ एवं यथासंभव निकटवर्ती जिलों को ध्यान में रखा जाएगा।

इन सभी कारकों पर विचारोपरांत निष्पक्ष निर्णय के लिए कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिकीकरण (Randomization) द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण/पदस्थापन किया जाएगा।

परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा चयनित विकल्प के जिला (प्रथम/द्वितीय/ तृतीय/चतुर्थ/पंचम) अथवा अन्य विकल्प देना उस जिले में पदस्थापन का कोई अधिकार या आश्वासन नहीं होगा। उपलब्ध पद सीमित होने तथा एक ही जिले के लिए अनेक राजस्व कर्मचारियों की चयनित वरीयता विकल्प होने के कारण प्रत्येक राजस्व कर्मचारी को उसकी वरीयता अनुरूप वांछित जिला मिलना संभव नहीं होगा। अंतिम आवंटन उपलब्ध रिक्ति, प्रशासनिक आवश्यकताओं, मानवबल संतुलन, विशेष परिस्थितियों, तथा लोकहित को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

- (vi) राज्य सरकार की घोषित नीतियों को दृष्टिपथ में रखते हुए दिव्यांगता (40 प्रतिशत से अधिक), महिला (विशेष परिस्थिति में), गंभीर रोग (स्वयं) के आधार पर, सुविधानुसार चयनित विकल्प पर विचार किया जा सकेगा। पति-पत्नी, दोनों के सरकारी सेवा में रहने की स्थिति में यथासंभव एक ही जिले में पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। परन्तु यह अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।

- (vii) बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 के नियम-03(ii) के तहत इस संवर्ग का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा। यदि सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम की अवधि बची हो, तो राजस्व कर्मचारी का यथासंभव ऐच्छिक पदस्थापन किया जा सकेगा।

- (viii) यदि कोई कर्मी अपने स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में अनुशंसा/ सिफारिश आदि माध्यमों से प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह कृत्य उनकी सेवा-पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।
- (ix) राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में विहित प्रक्रिया (प्रोटोकॉल) का पालन करते हुए अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकार को समर्पित किया जाएगा परंतु विहित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर अभ्यावेदन समर्पित किए जाने पर, उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह कृत्य उनकी सेवा-पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।

लोकहित, प्रशासनिक आवश्यकता अथवा कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर विभाग इस नीति में आवश्यक संशोधन कर सकेगा। असाधारण परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकार अभिलिखित कारणों के आधार पर किसी प्रावधान में शिथिलीकरण कर सकेगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश से,
जय सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1012-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>